न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमू (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– हिम्मत सिंह

मु.न. 102/2015

उनवान

श्रीमती किरण पोददार पत्नी श्री सुरेश कुमार पोद्दार, जाति महाजन, निवासी जी–21 जनपथ श्याम नगर जयपुर शहर जयपुर (राज.)।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर (राज.)
2. रूडी देवी पत्नी प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी रतन देवी कॉलोज के पीछ, बाढावाली ग्राम ढोढसर तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. दशरथ सिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढोढसर तहसील चौमू जिला जयपुर।
4. सत्यनारायण पुत्र श्री बिहारीलाल जाति नायक निवासी 76, भृगु मार्ग, बनीपार्क जयपुर शहर जयपुर।
5. सुरेश पोद्दार पुत्र श्री चम्पालाल पोद्दार, जाति महाजन निवासी 21 जनपथ, श्यामनगर जयपुर शहर जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांकः– 18.09.2019

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया ने निवेदन किया है कि प्रार्थीया उपरोक्त पते की रहने वाली है तथा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि जो कि वाके ग्राम बाढावाली तन ढोढसर पटवार हल्का ढोढसर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोविन्दगढ तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी प्रार्थीया एक मात्र खातेदार काश्तकार है तथा बतौर खातेदार उक्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग करती आ रही है। वाके ग्राम बाढावाली तन ग्राम ढोढसर पटवार हल्का ढोढसर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दगढ तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 667, 668, 649, 650 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.93 हैक्टर भूमि थी, जिसकी सम्पूर्ण भाग की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया के नाम से दर्ज चली आ रही है, जिसकी प्रार्थीया ही एकमात्र खातेदार काश्तकार उपयोग उपभोग करती चली आ रही है तथा अपनी हक व स्वामित्व की खातेदारी भूमि के चारों और कच्ची खाम डोल व सुरक्षार्थ तारबन्दी बना रही है, उक्त भूमि को ही इस प्रार्थना पत्र के अग्रिम मदों में "भूमि विवादग्रस्त" के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थीया अपनी एकमात्र खातेदारी भूमि पर बतौर खातेदार काबिज होकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करती चली आ रही है तथा उक्त भूमि पर साल दर साल फसल आदि कर उक्त भूमि पर काबिज काश्त है तथा प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी भूमि के चारो ओर सुरक्षा के लिये तारबन्दी आदि कर रखी है तथा चारों सीमाएं महदूद कर रखी है परन्तु उक्त भूमि के दक्षिणी तरफ स्थित खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 व पूर्वी तरफ स्थिति खातेदारी अप्रार्थी संख्या 3 तथा पश्चिमी तरफ स्थिति अप्रार्थी संख्या 4 व उत्तरी तरफ अप्रार्थी संख्या 5 की भूमियां स्थित है, जो आये दिन प्रार्थीया की भूमि पर जबरन सींव डोल को फोडकर कब्जा करने का प्रयास करते रहते है तथा वे बदनियतीवश प्रार्थीया को काश्त करने में बाधा

Scanned by CamScanner

उत्पन्न करते हैं तथा आये दिन सींव को तोड–फोड कर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते रहते हैं। प्रार्थीया ने पडोसी खातेदारों अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के द्वारा आये दिन हैरान व परेशन करने तथा उसकी भूमि में काश्त नहीं करने देने एवं उसकी भूमि में काश्त नही करने देने तथा सींव–डोल को फोडकर जबरन कब्जा करने से परेशान होर प्रार्थीया ने अपनी एकमात्र खातेदारी भूमि में सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार चौमू को प्रार्थना पत्र दिया जिस पर तहसीलदार चौमू के आदेश क्रमांक सीमा/2014/2137 दिनांक 29.05.2015 के आदेशानुसार दिनांक 03.06.2015 को पटवारी हल्का ढोढसर ने मौके पर जाकर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान किया गया, तथा फर्द मौका रिपोर्ट मौके पर तैयार की गई तथा मौका रिपोर्ट तेयार करने के पश्चात गवाहान की उपस्थिति में मौके रिपोर्ट बनाई तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट में प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर सीमाओं को फर्द मौके के साथ मौका रिपोर्ट में दर्शित किया। प्रार्थीया ने उक्त सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार महोदय चौमू को प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु बार–बार जाने के पश्चात भी आज तक तहसीलदार महोदय द्वारा पत्थगढी नहीं की गई। प्रार्थीया ने सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थगढी करवाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 के कार्यालय में कई बार प्रार्थना पत्र दिये। परन्तु तहसीलदार चौमू द्वारा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी नहीं की गई, दिनांक 06.07.2015 को तहसीलदार महोदय चौमू ने प्रार्थीया को पत्थगढी करने से साफ इन्कार करने हुए कहा कि न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थगढी के आदेश करावाओ, उसके बाद ही पत्थगढी होगी। इस कारण प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजमी आया है। प्रार्थीया अपनी उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान पटवारी हल्का ढोढासर द्वारा पूर्व में की गई सीमाज्ञान के आधार पर अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी माननीय न्यायालय द्वारा करवाई जाकर तार बावउन्ड्री करवाने के अधिकारी है, अगर न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रार्थीया के खातदोरी अधिकारों के प्रति कुठाराघात होगा तथा पडौसी काश्तकार प्रार्थीया की एकमात्र खातेदारी भूमि पर जबरिया अतिक्रमण कर कब्जा कर लेंगे। दिनांक 06.07.2015 को तहसीलदार महोदय चौमू द्वारा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करने से इन्कार करने एवं पत्थगढी के संबंध में कार्यवाही नहीं करने पर उत्पन्न होर आज दिन तक निरन्तर जारी है। प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बाढावाली तन ढोढसर पटवार हल्का ढोढसर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोवन्दिगढ तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 667, 668, 649, 650 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.93 हैक्टर भूमि सम्पूर्ण की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 बावजूद तामिल अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के द्वारा सीमाज्ञानुसार पत्थरगढी करने हेतु सहमति दी हैं। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 03.06.2015 को पटवारी हल्का ढोढसर द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 03.06.2015 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हिम्मत सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.01.09 16:25:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: